First ISO 9001:2000 certified
Government organisation in Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ इंफोटेक एवं बायोटेक प्रमोशन सोसायटी "चिप्स"

चिप्स के लिए एकाऊंटिंग फर्म के चयन हेतु विवरणिका

मूल्य रु. 500/-

(अध्याय–1)
विज्ञापन

OFFICE OF CHiPS

S D C. Bhawan, Civil Lines, Raipur (C.G.)

Tel: 0771-4066277, Fax: 0771-4066205

www.chips.gov.in

No 779 /CEO/ CHiPS /2018 Raipur, Dated: 24/02/2018

EXPRESSION OF INTEREST

Letter for expression of interest are invited for Accounting Work of CHiPS from Chartered Accountant partnership firm having 5 years experience in auditing of Government/ Semi Government Organization and PSU and 5 years experience as accounting firm in public sector undertaking/ Semi Government Organization. Eligible interested party should apply in prescribed expression of interest document available at CHiPS website **www.chips.gov.in**. The last date of submission of expression of interest documents is 15 March 2018.

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
CHiPS

(अध्याय–2)
मुख्य तिथियां

1. उपरोक्त निविदा प्रपत्र चिप्स की वेबसाईट से डाऊन लोड कर निर्धारित प्रस्ताव प्रपत्र के लिफाफे जमा करने के साथ प्रपत्र मूल्य 500/– बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स, रायपुर के नाम देय हो, जमा करना आवश्यक है, अन्यथा प्रस्ताव मान्य नहीं किया जायेगा।

2. सीलबंद प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि– 15/03/18, दोपहर 1 बजे तक।

3. व्यवसायिक प्रस्ताव खोलने की तिथि– 15/03/18, सायंकाल 4 बजे।

4. वित्तीय प्रस्ताव खोलने की तिथि– 19/03/18, सायंकाल 4 बजे।

<u>संपर्क का पता</u>

छत्तीसगढ़ इंफोटेक एंड बायोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स)

चिप्स कार्यालय, एस डी सी भवन, सिविल लाईन्स,

रायपुर 492 001

फोन नंबर–0771–4014158, फैक्स नंबर–0771–4066205

Mail Id- ceochips@nic.in

(अध्याय–3)

चिप्स की एकाऊंटिंग सी.ए. फर्म के चयन हेतु विस्तृत प्रस्ताव

एकाऊंटिंग फर्म द्वारा योग्य एवं कुशल कार्यकर्ताओं (जो चिप्स को मान्य हो) के माध्यम चिप्स के क्रियाकलापों से संबंधित ये सेवाएं उपलब्ध करायी जावेगीः–

1. **सेवा का स्वरूप** –

(1.1) चिप्स के लेखाओं का लेखांकन, अभिलेख संधारण, पत्रक प्रबंधन, कर निर्धारण संबंधी मामलों को निपटाना।

(1.2) चिप्स के लेजर एवं एकाऊंट तैयार करना, समस्त करों यथा आयकर, वस्तु एवं सेवा कर आदि के रिर्टन तैयार कर फाइल करना तथा कर की कटौती का प्रमाण पत्र जारी करना।

(1.3) फंड या आबंटन के शेष सहित मासिक आय–व्यय पत्रक उपलब्ध कराना, बैंक समाधान तैयार करना, लाभ–हानि पत्रक तैयार करना।

(1.4) चिप्स की एसेट एवं स्टोर पंजी एवं समस्त आवश्यक पंजियों का मैन्यूल एवं कम्प्यूटर से संधारण करना।

(1.5) चिप्स में होने वाले महालेखाकार, आंतरिक, सी. ए. व अन्य ऑडिट कार्य में सक्रिय सहयोग करना।

(1.6) चिप्स में वित्तीय संबंधी डाटा तैयार कर जानकारी उपलब्ध कराना तथा हर वर्ष के डाटा को फर्म द्वारा सी.डी. उपलब्ध कराया जाना।

(1.7) फर्म को चिप्स के विभिन्न परियोजनाओं का उपयोगिता प्रमाण पत्र मांगे जाने पर प्रदाय करना होगा।

(1.8) फर्म द्वारा कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर का पासवर्ड प्रबंधक, वित्त को उपलब्ध कराया जाएगा।

(1.9) समय–समय पर प्रत्येक परियोजना हेतु उपलब्ध आबंटन एवं सोसायटी के वित्त संबंधी मामलों पर चिप्स को सलाह/मार्गदर्शन देना होगा।

(1.10) संस्था की ओर से विभिन्न परियोजनाओं के लिए इन्वाईस/बिल्स जारी करना।

(1.11) संस्था के ऐसे सभी कार्य करना, जो वित्त, अंकेक्षण एवं बजट आदि से संबंधित हो।

(1.12) फर्म का प्रबंधन चार्टर्ड एकाऊटेंट के पास होना आवश्यक है तथा चिप्स के समस्त कार्यों का निष्पादन चार्टर्ड एकाऊटेंट द्वारा ही किया जाये।

(1.13) बैंक से संबंधित कार्यों यथा चेक, RTGS/NEFT, ड्राफ्ट आदि जमा करना।

(1.14) चिप्स द्वारा प्राप्त सभी (100 प्रतिशत) परियोजनाओं के भुगतानों का भूगतान से पूर्व अंकेक्षण कर उसकी वैधता को सत्यापित करना।

(1.15) अपडेटेड कैश बुक (मैन्यूअल), कम्प्यूटर में एकाउन्ट अपडेशन एवं बैंक क्लोजिंग बैलेंस प्रतिदिन उपलब्ध कराना।

(1.16) फर्म के एक किसी भागीदार को हफ्ते कम से कम दो घण्टे (किसी भी तीन कार्यालय दिवस) आकर कंडिका क्रमांक 1.1 से 1.15 में किये गये कार्य को पुनः सत्यापित करना होगा।

2. **अनुभव–एकाउन्टिंग सी.ए. फर्म को :–**

(2.1) फर्म का पंजीकृत हेड ऑफिस छत्तीसगढ़ राज्य में होना चाहिये।

(2.2) फर्म को वस्तु एवं सेवा कर नियम के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिये । इसके लिये उन्हें वस्तु एवं सेवा कर पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व–प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि प्रस्तुत करना होगा।

(2.3) फर्म का आय कर में पंजीयन होना आवश्यक है, इसके लिये उन्हें पैन कार्ड की स्व–प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि प्रस्तुत करना होगा।

(2.4) फर्म को विगत 5 साल का शासकीय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपकमों के व्यय का ऑडिट तथा 5 वर्ष का भासकीय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के एकाऊन्टिंग का अनुभव होना आवश्यक होगा। इस हेतु विगत 5 वर्शों में प्रत्यके वर्श का कार्यादेश/कार्य पूर्णतः प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए एवं इसके अतिरिक्त स्व सत्यापित अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

(2.5) फर्म रजिस्ट्रेशन सीएजी के अन्तर्गत होना चाहिये। इसके लिये उन्हे इस आशय के प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी प्रस्तुत करनी होगी।

(2.6) आवेदक की फर्म भागीदारी/LLP फर्म होना चाहिए तथा इस के संबंध में आव यक दस्तावेज उपलब्ध कराये जाएं।

(2.7) फर्म का विगत 3 वर्षों (2014–15, 2015–16, 2016–17) का औसत टर्न ओवर कम से कम 25 लाख होना चाहिये।

(2.8) फर्म को चिप्स को प्रदाय करने वाले मानव संसाधन का बायोडाटा उपलब्ध कराना होगा।

3. **मानव संसाधन उपलब्ध कराना** :–

(3.1) चार्टर्ड एकाऊंटटेंट की समय–समय पर सेवाओं के साथ 5 वर्ष के अनुभव एवं योग्यता वाले 2 सीनियर लेखाकार एवं 2 वर्ष के अनुभव एवं योग्यता वाले 2 जूनियर लेखाकार एकाऊन्टिंग फर्म द्वारा उपलब्ध कराये जावेंगे, जो चिप्स कार्यालय में कार्य करेंगे।

(3.2) इन सीनियर एवं जूनियर लेखाकारों के द्वारा कम्प्यूटर पर एवं मैन्यूअल रूप से लेखे एवं तत्संबंधी पंजियां/स्टेटमेंट/रिटर्न तैयार/संधारित करना होगा।

(3.3) इस प्रकार रखे गये सीनियर लेखाकार की योग्यता एम. कॉम/एम.बी.ए. (फायनेंस) होना आवश्यक होगा। इन्हे 5 वर्ष का अनुभव तथा टेली सॉफ्टवेयर पर कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(3.4) इस प्रकार रखे गये जूनियर लेखाकार की योग्यता एम. कॉम/एम.बी.ए. (फायनेंस)/सी.ए. इंटर होना आवश्यक होगा। इन्हे 2 वर्ष का अनुभव तथा टेली सॉफ्टवेयर पर कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

3.4 **सीनियर लेखाकार के कार्य** :–

3.4.1 सीनियर लेखाकार चिप्स में चल रही योजनाओं की वित्तीय प्रगति का पूर्ण लेखा–जोखा बनाएगा एवं उस योजना में होने वाले भुगतान की जानकारी रखेगा।

3.4.2 प्रतिवर्ष राज्य एवं केन्द्र योजनाओं में पारित बजट का लेखा–जोखा एवं समय–समय पर आहरित एवं राशि का ब्यौरे का रख–रखाव रखेगा।

3.4.3 बजट निर्माण के समय स.मु.का.अ./अ.मु.का.अ./मु.का.अ. के निर्देशानुसार कार्य करेगा।

3.4.4 लेखाकार को शासकीय योजनाओं के बजट का ज्ञान होना आवश्यक है।

3.4.5 संबंधित योजनाओं में होने वाले भुगतान की पूर्ण जानकारी रखेगा एवं पुनर्गणना का कार्य करेगा।

3.4.6 संबंधित प्रोजेक्ट इंचार्ज के समय–समय पर पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायेगा।

3.4.7 Project wise Bank Account details एवं Fixed Deposit details को भी अपडेट करेगा।

3.4.8 विभिन्न स्त्रोत (केन्द्र शासन, राज्य शासन एवं अन्य विभाग) से प्राप्त राशि का लेखा–जोखा रखेगा।

(3.5) ये कर्मचारी सं मु का अ/प्रबंधक, वित्त के अधीन उनके निर्देशन में कार्य करेंगे तथा उनके प्रति जवाबदेह होंगे।

(3.6) काम पर लगाये गये कर्मचारी चिप्स के कार्य हेतु पूर्णतः समर्पित होंगे। इनका कार्यालय अवधि अथवा उसके बाद अन्यत्र उपयोग नहीं किया जावेगा।

(3.7) लेखांकन कार्य की किसी भी स्थिति में किसी बाहरी व्यक्ति को जानकारी नहीं दी जावेगी तथा गोपनीयता बरती जावेगी।

(3.8) फर्म को चिप्स का डेटा चिप्स कार्यालय के बाहर अन्य स्थान, ड्राईव या मशीन पर रखने पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा।

(3.9) किसी भी कार्य दिवस के लिए अनुपस्थित रहने की दशा में सीनियर लेखाकार के प्रकरण में रु. 10,000/– प्रति माह जूनियर लेखाकार के प्रकरण में रु. 7000/– प्रति माह प्रति लेखाकार के मान से दैनिक आधार पर एकाऊंटिंग फर्म से वसूली की जायेगी।

4. चिप्स के किसी संव्यवहार, पत्र व्यवहार अथवा मुद्दे पर प्रतिनिधित्व करने हेतु एकाऊन्टिंग फर्म बगैर पूर्व अनुमति के अधिकृत नहीं होगी।

5. **त्रुटि की दशा में जिम्मेदारी** :–सौंपे गये चिप्स के कार्य संपादन में हुई एकाउन्टिग फर्म की किसी भी त्रुटि/भूल के लिए चिप्स द्वारा उसके एग्रीमेंट को पूर्णरूपेण अथवा आंशिक रूप से निरस्त किया जा सकेगा। इस हेतु एकाउन्टिंग फर्म को सुधार/समाधान हेतु दो सप्ताह का सूचना पत्र जारी किया जावेगा। इसके फलस्वरूप उस सेवा को जारी रखने हेतु यदि कोई अतिरिक्त व्यय भार चिप्स पर पड़ता है, तो एकाउन्टिंग फर्म द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति की जावेगी।

6. **कार्य निरस्तीकरण** :–एकाउन्टिंग फर्म द्वारा किया गया कार्य किसी भी प्रकार से चिप्स की आवश्यकताओं, तार्किक दृष्टिकोण से अथवा पर्याप्त स्तर के अनुकूल न होने की स्थिति में उस कार्य को निरस्त किया जा सकेगा अथवा एकाउन्टिंग फर्म को उसमें एक निश्चित समयावधि में बिना अतिरिक्त व्यय के सुधार करने कहा जावेगा। इस पर भी सुधार न होने की

दशा में चिप्स इसे अन्य स्त्रोतों से सुधार या पूर्ण करने, निर्देशित कर सकता है। इस प्रकार होने वाले अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति एकाउन्टिंग फर्म से वसूल कर की जा सकेगी और अनुबंध भी निरस्त किया जा सकेगा। इस प्रकार की त्रुटि, असद्व्यवहार अथवा लापरवाही के कारण होने वाले हानि या नुकसाल की भरपाई पूर्णतः या अंशतः एकाउन्टिंग फर्म से की जा सकेंगी।

7. **जमानत राशि** :– एकाउन्टिंग फर्म को भुगतान करते समय उस बिल की राशि की 5 प्रतिशत के समतुल्य राशि जमानत के रूप में काटी जावेगी, इससे चिप्स के नुकसान की भरपाई, यदि कोई हो, की जा सकेगी।

8. **निविदा मूल्य** :– निविदा मूल्य की राशि रु. 500/– बैंक ड्रॉफ्ट/बैंकर्स चैक द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स, रायपुर के नाम से निविदा प्रस्ताव के साथ जमा करना होगा। यदि उक्त राशि का बैंक ड्रॉफ्ट/बैंकर्स चैक नहीं दिया जाता है तो निविदा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

9. छत्तीसगढ़ राज्य में लागू कानून के अनुरूप एकाउन्टिंग फर्म को उपयुक्त लायसेंसधारी होना चाहिए, सी.ए. फर्म का हेड ऑफिस छत्तीसगढ़ में पंजीकृत होना चाहिए तथा सर्विस टैक्स के लिए भी पंजीकृत होना चाहिए, इस संबंध में पंजीकरण संख्या दर्शाना आवश्यक होगा।

10. आशय पत्र प्रस्तुति के साथ समस्त आवश्यक क्लीयरेंसेस, सर्टिफिकेट्स एवं अनुमतियां आदि प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

11. आशय पत्र नीचे लिखे विवरण अनुसार दो पृथक–पृथक लिफाफों में देना होगा। इन दोनों लिफाफों को एक साथ लिफाफे में सीलबंद कर निविदा मूल्य की राशि रु. 500/– बैंक ड्रॉफ्ट/बैंकर्स चैक सहित चिप्स कार्यालय, एस डी सी भवन, सिविल लाईन्स, रायपुर 492 001 में नियत तिथि एवं समय तक प्रस्तुत करना होगा।

12. एकाउन्टिंग सी.ए. फर्म को उपरोक्त बिंदुओं पर एक अनुबंध चिप्स के साथ निष्पादित करना होगा।

13. यदि फर्म कार्यादेश जारी करने के उपरान्त नियत तिथि तक अनुबंध निष्पादित नहीं किया तो उनका कार्य निरस्त कर दिया जावेगा, तथा उसके उत्तरवर्ती फर्म को कार्य दिया जा सकेगा।

14. किसी भी प्रस्ताव या समस्त प्रस्तावों को निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स को रहेगा।

लिफाफा क्रमांक–1

इसे लिफाफा कमांक–1 में रखें तथा उस पर "व्यवसायिक जानकारी" लिखें

भाग– अ

Requisite information form
Accounting C.A. Firm for Office of CHiPS

Name of Organization ---

Address of registered Head Office ---
(With phone & mobile No) ---

Local Communication Address at Raipur ---
(with landline phone No) ---

Mail ID ---

Name of Person Signing EOI ---

Designation of Person Signing EOI ---

Registration No. of Organization 1---
2---
3---

(Enclose self certified copy of Certificates- (1) Registration as CA (2) Registration of firm (3) Registration for GST)

Year of experience ---

I unconditionally and fully accept all the terms and conditions for this tender.

Seal & Signature

Date ------------
Place ------------

इसे लिफाफा कमांक–1 में रखें तथा उस पर "व्यवसायिक जानकारी" लिखें

भाग– ब

व्यावसायिक जानकारी

कृपया निम्न दस्तावेज संलग्न करें–

क्रं.	विवरण	संलग्नक कमांक
1	ICAI द्वारा जारी सी.ए पंजीयन प्रमाण पत्र की फोटो प्रति	
2	GST पंजीयन प्रमाण पत्र की फोटो प्रति	
3	आयकर के पैनकार्ड की फोटो प्रति	
4	अनुभव से संबंधित विवरण एवं अनुभव प्रमाण पत्र, अनुबंध की प्रतिलिपि (स्वहस्ताक्षरित)	
5	विस्तृत प्रस्ताव, अध्याय–3 के प्रत्येक पृष्ठ की हस्ताक्षरित प्रति	
6	भागीदारी फर्म की पार्टनरशिप डीड /LLP फर्म से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें	
7	निर्धारित प्रस्ताव प्रपत्र का मूल्य 500/– बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक कमांक .... दिनांक .... बैंक का नाम	**निविदा प्रस्ताव के साथ जमा किया गया है।**
8	फर्म का वर्श 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 का अंकेक्षित आय/व्यय खाते एवं चिटठा।	
9	सीएजी के अन्तर्गत फर्म के रजिस्ट्रेशन के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि।	

स्थान ———————————

दिनांक   /   /

प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर —————————

नाम ——————————————————

फर्म ——————————————————

फर्म की सील

लिफाफा क्रमांक–2

इसे लिफाफा क्रमांक–2 में रखें तथा उस पर "**वित्तीय प्रस्ताव**" लिखें

वित्तीय प्रस्ताव

मेरे द्वारा चिप्स में एकाउंटिंग कार्य के लिये निम्नानुसार मासिक दरें प्रस्तावित की जाती है। इन दरों में सभी प्रकार के व्यय, टैक्स एवं कर सम्मिलित हैं।

प्रस्तावित मासिक फीस की राशि (सभी प्रकार के व्यय, टैक्स एवं कर सहित)		
1	अंकों में	
2	शब्दों में	

- **न्यूनतम निविदा मूल्य रूपयें 1,00,000/– प्रतिमाह**

स्थान ——————

दिनांक / /

प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर ——————

नाम ——————

फर्म ——————

फर्म की सील